प्रेस विज्ञप्ति

11.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर जोनल कार्यालय ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरईईटी) पेपर लीक मामले में 10.07.2024 *को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत डॉ. प्रदीप पाराशर को राजस्थान में गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष पेश किया गया और माननीय विशेष न्यायालय ने ईडी को* 03 *दिन की हिरासत दी है।*

ईडी ने डॉ. प्रदीप पाराशर और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी, *1860* की विभिन्न धाराओं के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज/दायर की गई एफआईआर/चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि सेवानिवृत्त सहायक प्रोफेसर डॉ. प्रदीप पाराशर को आरईईटी, *2021* आयोजित करने के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जिला स्तरीय समिति के जिला समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो *26.09.2021* को राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर आरबीएसई द्वारा आयोजित किया जाना था। *डॉ. प्रदीप पाराशर ने तब बिना किसी वैध आदेश के एक सहायक राम कृपाल मीना को नियुक्त किया था, जिसे शिक्षा संकुल, जयपुर के स्ट्रांग रूम में अनधिकृत पहुंच दी गई थी, जहां आरईईटी, 2021 का प्रश्न पत्र संग्रहीत किया गया था। राम कृपाल मीणा ने डॉ. प्रदीप पाराशर के साथ मिलकर 24.09.2021 की रात में शिक्षा संकुल, जयपुर से सुनियोजित तरीके से प्रश्न पत्र चुराया और चोरी किए गए प्रश्न पत्र को अन्य आरोपियों को वितरित किया और बदले में भारी धन अर्जित किया।*

ईडी ने इससे पहले *05.06.2023, 20.06.2023, 07.08.2023, 17.10.2023* और *26.10.2023* को आरोपी व्यक्तियों के कुल *32* परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप अपराध-संकेती दस्तावेज/डिजिटल रिकॉर्ड बरामद हुए और भारी नकदी जब्त हुई। इस मामले में, ईडी ने पहले प्रदीप पाराशर के सहायक राम कृपाल मीना को गिरफ्तार किया था, जिसके खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई है, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है।

आगे की जांच जारी है।